

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा० प्र० से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
नवादा एवं मधुबनी।

पटना, दिनांक-

विषय:-

विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-12 जून 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रू० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेंगे। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

उक्त के आलोक में विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त सत्यापित सूची एवं आपके द्वारा की गई राशि की अधियाचना के आलोक में निम्न विवरण के अनुसार राशि RTGS/NEFT के माध्यम से इस हेतु आपके पद नाम से खोले गये खाते में अंतरित की जा रही है।

जिला	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की सं०	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रुपये में	जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण
नवादा	36466306691 (जिला पदाधिकारी, नवादा)	SBIN0000141	08	08x @25000	2,00,000/-	कार्यालय पत्रांक-135 दि० 06.02.2018
मधुबनी	36342475720 (जिला पदाधिकारी, मधुबनी)	SBIN0000127	02	02x @25000	50,000/-	कार्यालय पत्रांक-131 दि० 13.02.2018
कुल					2,50,000/-	(दो लाख पचास हजार) रू० मात्र

अनुरोध है कि उपलब्ध कराई जा रही राशि से सत्यापित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र बाल श्रमिक को ही लाभ दिया जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय।


(का० सहायक)


(संयुक्त श्रमायुक्त)

विश्वासभाजन
ह०/-
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-1/सी०एल०-10-12/2017श्र०सं०-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-श्रम अधीक्षक, नवादा एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश है कि CLTS System में विमुक्त बाल श्रमिक को प्रदत्त तत्काल आर्थिक सहायता राशि, जिलान्तर्गत बाल श्रम कल्याण-सह-पुनर्वास कोष में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता राशि, दोषी नियोजकों से वसूली गयी राशि, दोषी नियोजक के विरुद्ध दायर एफ०आई०आर०/नोटिस संबंधित प्रतिष्ठियों को अविलंब दर्ज करें एवं दिये गये मार्गदर्शिका के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित कराये तथा जिला पदाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/-
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-1/सी०एल०-10-12/2017श्र०सं०-

992

पटना,दिनांक 21-2-18

प्रतिलिपि:-आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/02/18

श्रमायुक्त,बिहार।